RESEARCH COMMUNICATIONS
(An International Open Access, Peer Reviewed, Multidisciplinary Online Journal)
https://research-communications.cmpcollege.ac.in
ISSN: 2584-1270
Vol.: 1, Issue: 2, July-December 2023, pp.41-51

पर्यावरण शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 : स्थानीय समुदायों की भूमिका

संजय कुमार यादव[1] एवं डॉ. जितेन्द्र कुमार[2]

[1]एवं[2] शोधार्थी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षाशास्त्र विभाग, सी.एम.पी. कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

सारांश

पर्यावरण का सैद्धांतिक आधार सामाजिक न्याय है। इससे सरोकार रखने वाले इसके पैरवीकार पर्यावरणविदो का मत है कि यह धरती किसी एक व्यक्ति या समुदाय की व्यक्तिगत सम्पति न होकर पूरे समाज की साझा विरासत है,यह हमें हमारे पूर्वजो से उपहार स्वरूप नही मिली है,वरन भावी पीढ़ी की धरोहर है, अतः हमें विकास के नाम पर धरती का विनाश नही करना है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम अपणी आवश्यकताओ को नहीं रोक सकते है लेकिन विकास का ऐसा रोडमैप तैयार कर सकते हैं जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यक्ताओं की पूर्ति भी हो और साथ ही साथ भावी पीढ़ी की धरोहर का अंधाधुंध दोहन नही करना है। यदि विकास का ऐसा मॉडल अपनाया जाता है जिससे भावी पीढ़ी के संसाधनो का संरक्षण भी किया जा सके और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यक्ताओं की पूर्ति की जा सकें तो वह विकास सर्वोत्तम पर्यावरण मित्रवत मॉडल होगा और इसे सतत या सम्पोषीय विकास कहा जायेगा। जहाँ तक पर्यावरण शिक्षा की बात है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत 60 के दशक के बाद हुई जब विश्व के बुद्धिजीवियों का पर्यावरण समस्या और इस मुद्दे पर ध्यान गया। औद्योगीकरण के दौरान प्रत्येक देश और वहाँ के लोगो में यह धारणा थी, कि जो देश या समाज प्राकृतिक संसाधनों का जितना ज्यादा दोहन करेगा वह उतना ही ज्यादा सम्पन्न होगा,जिसका परिणाम यह रहा कि वैश्विक स्तर पर तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ और बड़े स्तर पर पर्यावरणीय क्षति हुई। पर्यावरणीय क्षति को प्रकाश में लाने हेतु रिचेल कार्सन ने "साइलेंट स्प्रिंग" तथा मेडोज ने "लिमिट टू ग्रोथ" नामक पुस्तकें लिखी, जिसके चलते दुनिया के लोगो का ध्यान पर्यावरण जैसे गंभीर, संवेदनशील मुद्दे पर गया और 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विश्व के बुद्धिजीवियों, पर्यावरण और प्रकृति प्रेमियों का सम्मलेन स्टॉकहोम में सपन्न हुआ और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा हुई। इसी सम्मेलन के अंतर्गत प्रत्येक देश को पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया गया। जिसके चलते पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े संस्थानों का

विकास तेजी से हुआ। (स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस-1972 "पर्यावरण और विकास से संबंधित घोषणा संख्या-17 एवं 19) इसी कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपने पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को जोड़ा साथ ही साथ देश के कई केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयो ने अपने स्नातक कोर्स में पर्यावरण को पूरक पाठ्यक्रम या पाठ्यसहगामी क्रियाओ के रूप में स्थान दिया। जिसको लागू करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में भी पर्यावरण शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया, आगे चलकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2005 ने भी पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ने पर फोकस किया, इसी कड़ी में आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर्यावरण शिक्षा और स्थानीय समुदायों की भगीदारी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने पर बल दिया है।

पर्यवारण शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 दोनों सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित हैं,नई शिक्षा नीति पर्यावरण शिक्षा के लिए मार्गदर्शक है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी कहना है कि यदि सुनियोजित तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें तो हमारे पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है और यदि हम स्वार्थ और लालच बस प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग और दोहन करेंगे तो कई धरती कम पड़ जाएगी। (राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी,-यंग इंडिया)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 स्थानीय ज्ञान व स्थानीय परिवेश को आधारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाये जाने की बात करती है जसमे स्थानीय ज्ञान और उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए साथ ही साथ पुरातन देशज ज्ञान और उद्यमिता का संरक्षण भी किया जाए -जिसमे शिल्प, उद्यमिता बागवानी आदि आती हैं। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 :5.6)। विद्यालय को स्थानीय परिवेश के अनुसार स्थानीय उत्सव, स्थानीय ज्ञान आदि में साझीदार होना चाहिए। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020:7.12)

मुख्य शब्द : पर्यावरण शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, स्थानीय समुदाय

प्रस्तावना

पर्यावरण का सम्प्रत्य काफी व्यापक है। मनुष्य जिस परिवेश में रहता है, वह सब उसका पर्यावरण होता है। परन्तु पर्यावरणीय शिक्षा केवल उसके प्राकृतिक घटक तक सीमित नहीं है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण के सभी घटको का अध्ययन किया जाता है। जिसमे प्राकृतिक पर्यावरण के पूरक के रूप में उसके अन्य घटको में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव की भौतिक आवश्यकताएँ और अधिक बढ़ा दी हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। दुनियाँ भर में अब इस बात की चिन्ता उत्पन्न हो गई है कि कहीं ये प्राकृतिक संसाधन समाप्त न हो जाएँ और आने वाली भावी पीढ़ी इनसे वंचित न रह जाए। अत: प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के

लिए सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ औद्योगीकरण के चलते प्राकृतिक संसाधनों का अंधा-धुंध दोहन हो रहा है, जिससे जल, जमीन जंगल और वायु दूषित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरुप मानव समाज को जीवन यापन के लिए शुद्ध वायु एवं जल उपलब्ध प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अत: पर्यावरण प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षय को भी रोकने के लिए सतत रूप से व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयत्नों में एक प्रयत्न पर्यावरणीय शिक्षा भी है। मुख्यतः पर्यावरण शिक्षा के दो पहलू स्पष्ट होते हैं- एक प्राकृतिक संसाधनों और उनके संरक्षण और संवर्धन का ज्ञान और दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण और उसे दूषित और क्षरण होने से बचाने के उपायों का ज्ञान। अतः पर्यावरण शिक्षा के द्वारा बच्चों, युवकों और प्रौढों को प्राकतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरण प्रदूषण के कारणों और उनके दुष्परिणामों से परिचित कराया जाता है और साथ ही उन्हें प्राकृतिक संसाधनो के संरक्षण और पर्यावरण को प्रदूषित और क्षरण से बचाने की विधियां बताई जाती है ।

एक समय ऐसा था जब यह धारणा थी कि जो देश या समाज प्राकृतिक संसाधनों का जितना ज्यादा दोहन करेगा वह उतना ही ज्यादा सम्पन्न होगा। जिसका परिणाम यह रहा कि वैश्विक स्तर पर तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ और बड़े स्तर पर पर्यावरणीय क्षति हुई। पर्यावरणीय क्षति को प्रकाश में लाने हेतु रिचेल कार्शेल ने *"साइलेंट स्प्रिंग"* मेडोज ने *"लिमिट टू ग्रोथ"* नामक पुस्तकें लिखी गई, जिसके चलते दुनिया के लोगो का ध्यान पर्यावरण जैसे गंभीर, संवेदनशील मुद्दे पर गया और 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विश्व के बुद्धिजीवियों, पर्यावरण और प्रकृति प्रेमियों का सम्मलेन स्टॉकहोम में सपन्न हुआ और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा हुई। इसी सम्मेलन के अंतर्गत प्रत्येक देश को पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया गया। जिसके चलते पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े संस्थानों का विकास तेजी से हुआ। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपने पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को जोड़ा साथ ही साथ देश के कई केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयो ने अपने स्नातक कोर्स में पर्यावरण को पूरक पाठ्यक्रम या पाठ्यसहगामी क्रियाओ के रूप में स्थान दिया। जिसको लागू करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में भी पर्यावरण शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया, आगे चलकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2005 ने भी पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ने पर फोकस किया, इसी कड़ी में आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर्यावरण शिक्षा और स्थानीय समुदायों की भगीदारी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने पर बल दिया है। पर्यवारण शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 दोनों सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित हैं, नई शिक्षा नीति पर्यावरण शिक्षा के लिए मार्गदर्शक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 स्थानीय ज्ञान व स्थानीय परिवेश को आधारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाये जाने की बात करती है जिसमें स्थानीय ज्ञान और उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए साथ ही साथ पुरातन देशज ज्ञान और उद्यमिता का संरक्षण भी किया जाए, जिसमे शिल्प, उद्यमिता बागवानी आदि आती हैं। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: 5.6) विद्यालय को स्थानीय परिवेश के

अनुसार स्थानीय उत्सव, स्थानीय ज्ञान आदि में साझीदार होना चाहिए। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: 7.12) जिससे सामुदायिक विकास के साथ साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा सकें।

पर्यवारण शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020

प्राचीनकाल से ही प्रत्येक समाज और राष्ट्र अपने नागरिको को शिक्षित व दीक्षित करके स्वयं को विवेक सम्मत समाज बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहा है, वस्तुतः व्यैक्तिक, सामाजिक व राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के योग्यदान को दृष्टिगत रखते हुए वैश्विक परिवेश में जहाँ सम्पूर्ण विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस दौर से शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। यही कारण है कि देशकाल परिस्थितियों के फलस्वरूप शिक्षा की बदलती जरूरतों, आकांक्षाओं, व व्यवस्थाओं को निरूपित करने के लिए समय समय पर अपने लक्ष्यों व मूल्यों पर आधरित शिक्षा नीतियों में उन्नयन और परिवर्तन होता रहा है। इसी को ध्यान रखते हुए 34 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को अनुमोदित करके 29 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित की गई। यह नीति भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों के एजेंडा 2030 के लक्ष्य-4 में परिलक्षित वैश्विक जीवंत पर्यन्त गुणात्मक शिक्षा के लक्ष्यों पर केंद्रित है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य निश्चय ही भारतीय मूल्यों से ओत-प्रोत एक ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास करना है जो भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाकर भारत को एक न्याय संगत व ज्ञानवान समाज में बदलने के लिए योग्यदान करेगी।

इस नीति में परिकल्पित किया गया है कि हमारे शिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधि छात्रों में उनके मौलिक और सामाजिक दायित्यों के प्रति सचेत और जागरूक करेगी। इस नीति के द्वारा छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास होगा जिससे वे समाज, राष्ट्र और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहेंगे। विद्यार्थी "वसुधैव कटुंबकम' की भावना के साथ स्वयं के प्रति समाज के प्रति और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रति सजग रहेंगे।

पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और महत्व

पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पर्यावरण के प्रत्येक घटको और उनको प्रभावित करने वाले घटको की जानकारी देना, जिससे विद्यार्थी पर्यावरण के विभिन्न घटको और उन्हें प्रभावित करने वाले कारको के प्रति समझ विकसित कर सकें। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और महत्व इस प्रकार इस प्रकार है: -

1- विद्यार्थियों को पर्यावरण के महत्व और उपयोगिता की जानकारी देना।

2- विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संवेदना विकसित करना।

3- पर्यावरण निक्षेपण और प्रदूषण का मानवीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देना।

4- पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य और विभिन्न संस्थनो द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमो और उपक्रमों की जानकारी देना।

5- औद्योगीकरण और मानवीय गतिविधियों के चलते हो रहे पर्यावरण क्षरण और संरक्षण के उपायों की जानकारी देना।

6- -जनशंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव की जानकारी देना।

7- विद्यार्थीयो को सतत विकास की अवधारणा से परिचित कराना।

8- स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा की उपयोगिता से विद्यार्थयों को परिचित कराना।

9- पर्यावरण मित्रवत तकनीकी से विद्यार्थियों को परिचित कराना।

10- पर्यावरण प्रदूषण, मृदा अपरदन पर्यावरण अवनति, संकटग्रस्त पादपों, और जंतुओं के बचाव हेतु जागरूकता का विकास करना।

11- भारत के संविधान में उल्लिखित पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और संवैधानिक उपवंधो की जानकारी देना। {भारतीय संविधान अनु. 48 (अ),अनु, 51(अ)}

12- पर्यावरण और शिक्षा के अंतर्संबंधो की जानकारी देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 सतत विकास लक्ष्य-4 (एस.डी.ज़ी.-4) के लक्ष्यों के अनुरूप डिजाइन और विकसित की गई है। जिससे सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक हासिल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सतत विकास लक्ष्यों में जहाँ लक्ष्य-4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है वहीं दूसरे लक्ष्य (एस.डी.जी.- 6,11,13,14, 15) प्रत्यक्ष्य रूप से पर्यावरण संरक्षण, संबर्धन और सतत विकास से जुड़े है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में वर्तमान सामाजिक सरोकारों और सामुदायिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए स्कूल काम्प्लेक्स प्रबंधन समिति (एस.सी.एम.सी.) की बात की गई है, जिसमे स्थानीय हितधारको के सहयोग की बात की गई है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020: 5.11) इस बिंदु (5.11) के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति स्थानीय लोगो के सहयोग से विद्यालय के शैक्षिक और भौतिक परिवेश को अमन चैन के वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे विद्यालय परिसर या स्कूल काम्प्लेक्स हरित परिवेश में विकसित हो सकेंगे। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020) जिस परिवेश की परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने प्रसिद्ध निबंध *"सभ्यता और प्रगति"* में की है और साथ ही साथ गुरुदेव जी ने *"शांति निकेतन"* (विश्वभारती विश्वविद्यालय) में जिसको साकार रूप भी दिया है। जहाँ विद्यार्थी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए स्वतंत्रता पूर्वक विहार करते हुए उन्मुक्त वातावरण में प्रकृति की गोद में ज्ञान ग्रहण करते हैं। इसी कारण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या- 2005 का भी निर्माण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के आधार पर हुआ है। आज विद्यालय में ऐसे परिवेश और वातावरण को विकसित करने की जरूरत है जिसका दायित्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति और

स्थानीय परिवेश का है, दूसरी ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में सांस्थानिक विकास कार्यक्रम का भी जिक्र है जिसके माध्यम से विद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय स्थानीय स्तर पर सांस्थानिक विकास परियोजना को बनाएंगे जिसमे कहीं ना कहीं संस्थान के भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण और परिवेश की बात अपरोक्ष रूप से शामिल है। ये सांस्थानिक विकास परियोजना पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण सम्बर्धन को बढ़ावा देती है, जैसे-सांस्थानिक विकास परियोजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा चलाया जाने वाला उन्नत भारत कार्यक्रम (यू.बी.ए.) जिसके अंतर्गत सामुदायिक विकास और सामुदायिक सरोकार विशेषकर पर्यावरण पर विशेष बल दिया जाता है। (उन्नत भारत अभियान- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी) दिल्ली)

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति दिशा में एक रोडमैप है जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जिसमे स्थानीय समुदाय की भागीदारी, मजबूत विद्यालय प्रबंधनतंत्र, स्कूल काम्प्लेक्स की स्थापना, पुरातन देशज ज्ञान-विज्ञानं का पाठ्यसहगामी गतिविधियों से जोड़ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने की संकल्पना का आधार है। वैश्वीकरण के इस दौर में आज जीवन का ऐसा कोई भी घटक नहीं है जो परोक्ष-अपरोक्ष रूप से पर्यावरण से जुड़ा ना हो या पर्यावरण पर आश्रित ना हो। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर्यावरण शिक्षा के लिए एक आधारशिला प्रदान करती है।

एन.ई.पी-2020 बिंदु 4.27 में *"भारत का ज्ञान"* में प्राचीन और अर्वाचीन भारतीय पुरातन ज्ञान, देशज ज्ञान का उल्लेख किया गया है। जिसमे भारत की प्राचीन शिक्षा तथा भविष्य की आकांक्षाएं और पुरातन ज्ञान-विज्ञानं, देशज ज्ञान, भैसज और पारम्परिक प्रकृति और पर्यावरणीय ज्ञान शामिल है। इन घटको को आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम या पाठ्यसहगामी गतिविधियों में शामिल किया जायेगा।

विशेष रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली को आदिवासी समाज का स्थनिक ज्ञान स्वदेशी एवं पारम्परिक प्रणाली को आधुनिकता के साथ समावेश किया जायेगा जिसमे जनजातीय निर्जातीय एथनो औषधि प्रथाओ, वन प्रबंधन, पारम्परिक जैविक फसल की खेती, प्राकृतिक खेती आदि विशिष्ट कार्यक्रम संचालित किये जाने का प्रावधान है जो पर्यावरण सम्बर्धन और संरक्षण की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020:47)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया है कि शिक्षक और समुदाय के बीच सम्बन्ध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020; 5.3)

स्कूल काम्प्लेक्स को सेण्टर ऑफ़ लर्निंग बनाने के लिये विद्यालय और समुदाय के बीच की दूरिया ख़त्म करने की बात हुई है साथ ही स्कूल काम्प्लेक्स में छात्रों को लाभान्वित करने के लिए और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयो जैसे पारम्परिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या कोई अन्य विषय जहाँ कोई अन्य स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है,

में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों और विशषज्ञों को प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020; 5.6)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के बिंदु संख्या 13.2 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि संस्थान का शैक्षिक वातावरण सुखद और पर्यावरण मित्रवत जीवंत परिसर होना चाहिए, इस बात का भी उल्लेख है कि विद्यालय या संस्थान के पाठ्यसहगामी गतिविधियों के अंतर्गत कला क्लब, पर्यावरण क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि के शामिल होने के भरपूर अवसर दिए जायेगे। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: 12.9)

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 स्थानीयता और परम्परिक ज्ञान तथा देशज प्रणाली के संरक्षण और सम्बर्धन की बात करती है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 (5.11) में स्थानीय हितधारकों से सहयोग की बात की गई है जिसके अंतर्गत भी स्थानीयता को विशेष ध्यान दिया गया है जिसमे स्थानीय पर्यावरण की चर्चा समाहित है। क्योकि स्थानीय सहयोग में विद्यालय प्रबंधन समिति शिक्षक-अभिभावक संघ एवं समुदाय के कार्य और दायित्व भी आ जाते है, जिसमे विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यो का यदि उल्लेख करे तो उसमे विद्यालय परिवेश को हरा-भरा स्वच्छ रखना आदि शामिल है, साथ ही साथ सामुदयिक गतिविधयों और सामुदायिक सरोकार (सतत विकास लक्ष्य-11) में पर्यावरण सरक्षण, जागरूकता आदि परिलक्षित होते है।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति (6.2.3) में आदिवासी और निर्जातीय समाज के बच्चो को विद्यालय से जोड़ने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्रो पर विशेष ध्यान रखने की बात की गई है जिसमे स्थनीय पर्यावरण संरक्षण की बातें स्पष्ट होती है जिसको विद्यालय विकास योजना के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

पर्यावरण शिक्षा और स्थानीय समुदाय

पर्यावरण शिक्षा को धरातल पर उतरने में स्थानीय समुदायों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, स्थानीय समुदाय के बिना पर्यावरण के व्यावहारिक पक्ष को पूरा नहीं किया जा सकता है, स्थानीय समुदाय अपने दायित्वों के माध्यम से पर्यावरण के कई घटको की पूर्ति करता है जिसमे गांव या समुदाय में सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से और मनरेगा जैसी परियोजना के माध्यम से वृक्षारोपण, जलसंरक्षण के लिए नदी, तालाबों पोखरों आदि में बांध का निर्माण, वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास, अमृत सरोवर की स्थापना, अमृत उद्यान की स्थापना, अपनी माटी अपना देश कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय धरोहर का संरक्षण और स्थानीय परिवेश को हरा-भरा और उर्वर रखना आदि शामिल है। जो पर्यावरण शिक्षा के व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं।

स्थानीय समुदाय के बिना किसी भी नीति का कियान्वयन नहीं किया जा सकता है, नीति कितनी भी अच्छी क्यों ना जब तक उसको जमीनी स्तर पर लागू ना किया जाये तब तक वह अपने उद्द्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों सैद्धांतिक आयाम है लेकिन उनको धरातल लागू करने के लिए स्थानीय समुदाय की जरुरत होती है, स्थानीय समुदाय के सहयोग के बिना इसे जमीनी स्तर पर उतरा नहीं जा सकता है। पाठ्यचर्या रूपरेखा -2005 भी करती है जिसमे विद्यालय ज्ञान को समाज से जोड़ने की बात की गई है। (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा- 2005) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) द्वारा संचालित *"उन्नत भारत अभियान"* जो स्थानीय पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को हरा-भरा रखने की पहल की है, उसमे स्थानीय परिवेश के सहयोग से सामुदयिक विकास सम्बन्धी पर्यावरण से जुड़े सरोकार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे है। नई शिक्षा नीति के बिंदु संख्या- 11.8 में सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग होगा जिमसे वैश्विक नागरिक शिक्षा के साथ साथ स्थानीयता को विशेष महत्व दिए जाने की बात कही गई है।

स्थनीय समुदाय विभिन्न उत्सवों, त्योहारों और दिवसों में पर्यावरण से संबंधित दिवस, प्रकृति पूजा से संबंधित उत्सव आदि पाठ्यसहगामी गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा के ध्येय पूरा करने में सहयोग करता है। जिसमे पृथ्वी दिवस, जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस,जैव-विविधता दिवस, ओज़ोन दिवस, मिशन लाइफ (*लाइफ स्टाइल फॉर एनवयरोमेंट* पर विशेष सत्र आदि प्रमुख है। जो परोक्ष-अपरोक्ष रूप से पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देते है। और यह सब कार्य विद्यालय और स्थानीय समुदाय के सहयोग पर निर्भर करता है।

नई शिक्षा नीति के बिंदु संख्या- 11.1 में समग्र तथा बहुविषयक शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण, कला सहित सभी ज्ञान की आयाम आ जाते है, वे चाहे देशज हो या विदेशज और इसके अंतर्गत स्थानीय ज्ञान देशज ज्ञान और प्राकृतिक ज्ञान को सजोने और छिपे हुए ज्ञान को प्रकाश में लेन की बात की गई है जिसमे स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक शिक्षा और सामुदायिक सरोकार भी आ जाते है। दूसरी और समुदाय के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा को *लर्निंग बाय डूइंग* (करके सीखना विधि) द्वारा आसानी से समाज और विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा सकती है। एक बालक प्रारंभ से अपने समुदाय और घर, जो प्राथमिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है, में पर्यावरण शिक्षा को धार्मिक शिक्षा और सामुदायिक मूल्य के रूप में ग्रहण करता है।

"भारतीय संस्कृति में माता भूमि पुत्रो अहम् पृथिव्या" अर्थात पृथ्वी को माता मानकर उसको सम्मान दिया गया है। यह भावना और मूल्य एक बालक अपने समुदाय और परिवार तथा विद्यालय की पाठ्यसहगामी गतिविधियों के माध्यम से सीखता है जो पर्यावरण शिक्षा का व्याहारिक ज्ञान है। भारतीय संस्कृति में स्थानीयता के अनुरूप त्यौहार और मेलो का आयोजन भी होता है, जिसमे अधिकांश त्यौहार

और मेले स्थानीय जलवायु, भगौलिक दशाओ और स्थानीय कृषि और पर्यावरण पर आधारित होते है। पीपल, वट वृक्ष और तुलसी जैसे औषधीय महत्व के वृक्षों की नियमित देखभाल, उसमे जल अर्पण आदि पर्यावरण की व्यावहारिक ज्ञान और मूल्य जिसके समकालीन विश्व में नितांत आवश्यकता है, जिसको वह घर और स्थानीय समुदाय से ही सीखता है। जो पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न अंग और व्याहारिक ज्ञान है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 और स्थानीय समुदाय आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, और पर्यावरण शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 और स्थानीय समुदाय का योग्यदान काफी महत्वपूर्ण है जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर्यावरण शिक्षा हेतु सैद्धांतिक रोडमैप तैयार करती है वहीं विद्यालय स्थानीय समुदाय के माध्यम से इस सैद्धांतिक रूप रेखा को जमीनी स्तर पर लागू करने में सहयोग प्रदान करती है। निसंदेह पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण विषय आज वैश्विक मुद्दा बन चुका है, लेकिन जब तक स्थानीय स्तर पर विद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में जब इस विषय को नहीं लाएंगे तब तक पर्यावरण संबंधी जागरूकता समाज में नहीं लाई जा सकती है और जल वायु परिवर्तन जैसे भावी संकट से नहीं बच सकते हैं। आज देश भर में नवनिर्मित अमृत सरोवर, अमृत उद्यान, सघन वृक्षारोपण अधिक पुराने वट वृक्ष और पीपल वृक्ष को हैरिटेज वृक्ष के रूप में संरक्षण री-साइकल, री-यूज, री-ड्यूज की संकल्पना कहीं ना कहीं स्थानीय सामुदायिक सहयोग, पर्यावरण शिक्षा और अच्छी नीतियों के निर्माण से सम्भव हुआ है ।

अतः नेल्सन मंडेला के शब्दों में कहा जा सकता है कि *"शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग करके हम दुनिया को बदल सकते हैं।"* इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से समाज में अच्छे परिवेश का निर्माण कर सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के शब्दों में किसी भी परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। इस प्रकार जब हम सब पर्यावरण शिक्षा को स्थानीय स्तर से सामुदयिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो वैश्विक स्तर पर परिवर्तन आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में उल्लिखत पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्यों को साकार किया जा सकेगा ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

श्रीवास्तव, जी. (2023). "प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण के मूल्य" अधिगम (शैक्षिक शोध पत्रिका), राज्य शिक्षा संस्थान, प्रयागराज, पृष्ठ-83

दास, सी. (2007). भारत में वन्यजीव संरक्षण पर एक ग्रंन्थ (क्लासिक पुस्तकें)

विजयलक्ष्मी, आर. (1983). दृष्टिकोण: पर्यावरण जागरूकता, हिन्दू परिप्रेक्ष्य जर्नल ऑफ़ हिन्दू ईसाई अध्ययन।

वर्णवाल, एम. (2012). भूगोल एक समग्र अध्ययन, कॉसमॉस पब्लिकेशन, पृष्ठ सं. 119

हुसैन एम. (2012). पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी: जैव विविधता, जलवायु प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन, जी. के. प्रकाशक।

लक्ष्मीकान्त, एम. (2023). भारत की राज्यव्यवस्था, मैग्राहिल एजुकेशन इंडिया प्रा. लि., नोएडा, उ.प्र.।

गावा, ओ. (2022). समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, नेशनल पेपर बैंक, इंडिया।

योजना (अंक-12, दिसंबर, 2023) पृष्ठ-47, 53, प्रकाशन विभाग, पृष्ठ-46 सूचना विभाग, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

गुप्ता, एस. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति: 2020- एक सरल परिचय, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज।

सम-सामयिक घटनाचक्र, (अंक-01, जनवरी, 2024). सामयिक आलेख, पृष्ठ-27, घटनाचक्र प्रकाशक चर्चलेन, प्रयागराज।

दिव्यकीर्ति, वी. (2016). पर्यावरण एवं पारिस्थितिक, पृष्ठ सं. 02, दृष्टि पब्लिकेशन, मुखर्जी नगर, दिल्ली।

योजना (अंक-01, जनवरी, 2021). सूचनाभवन, प्रकाशन विभाग, पृष्ठ-19 एवं 46 सूचना विभाग, सी. जी. ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

परीक्षा मंथन (संस्करण, 2018). जे. के. आर्ट प्रेस, प्रयागराज।

कुरक्षेत्र (अंक-01 नवंबर, 2023). प्रकाशन विभाग, पृष्ठ-46 सूचना विभाग, सी. जी. ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

योजना, (दिसम्बर, 2023). प्रकाशन विभाग, पृष्ठ-47 सूचना विभाग, सी. जी. ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

Online Sources

https://www.undp.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmentaljustice
https://missionlife-moefcc.nic.in
https://www.unep.org/node
https://unnatbharatabhiyan.gov.in/
https://www.neeri.res.in/
https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf2005-hindi.pdf
https://amritsarovar.gov.in/
https://nrega.nic.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx
https://www.ecology.edu/environmental-education.html
https://rural.gov.in/
https://moef.gov.in/moef/index.html
https://www.sirdup.in/OurBranches.aspx?type=RIRD
https://www.sirdup.in/OurBranches.aspx?type=RIRD
https://sdgs.un.org/goals

https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992
https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
https://legislative.gov.in/constitution-of-india/
https://www.indiaculture.gov.in/
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf